अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
विद्युत भवन,हाथी भाटा,जयपुर रोड़,अजमेर–305001
No - 5816

क्रमांकःअ.वि.वि.नि.लि.,/अ.एवं प्र.नि/अ अ(योजना)/प्रे. दिनांकः 18 FEB 2003

आदेश – 720

राज्य में भयंकर अकाल एवं सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सामान्य कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया है कि ऐसे उपभोक्ताओं से वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर ही बिल वसूल किये जायें तथा मिनिमम बिलिंग एवं वास्तविक विद्युत उपभोग की राशि के अन्तर की राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा वितरण निगमों को किया जायेगा।

तद्नुसार कृषि श्रेणी के मीटर्ड सप्लाई के विशेष श्रेणी वाले उपभोक्ताओं (टेरिफ कोड संख्या 4200 एवं 4400) से बिलिंग माह मार्च'2003 से वास्तविक उपभोग के आधार पर ही बिल की राशि वसूल की जावेगी। पूर्व में जारी आदेश आर.ई.अज–47 दिनांक 26.10.2002 में वर्णित दिशा–निर्देशानुसार उपभोक्ताओं को जारी किये जाने वाले बिल में पूर्व की भाँति मिनिमम बिलिंग की राशि को अलग से इंगित किया जावेगा परन्तु उपभोक्ता को केवल वास्तविक उपभोग की राशि ही जमा करवानी होगी।

उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियंत्रक, अविविनिलि, अजमेर, बिल बनाने वाली संस्थाओं को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करेगें तथा यह सुनिश्चित करेगें कि मिनिमम बिलिंग की राशि के अन्तर की राशि जिसका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है का क्लेम राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है।

उपरोक्त आदेश बिलिंग माह मार्च'2003 से लागू होगें। चालू वित्तीय वर्ष के बिलिंग माह फरवरी'2003 तक पूर्व आदेशानुसार जारी किये गये बिलों का भुगतान उपभोक्ता द्वारा देय होगा।

18/2/03
(बी.एल. आर्य)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

64/user-Tanwar,Steno/F.RE-circular

75

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्रीमान् ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि,अजमेर।
3. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियंत्रक, अ.वि.वि.नि.लि,अजमेर।
4. श्रीमान् सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (उ.स., झु.स.),अविविनिलि,........................
5. श्रीमान् उप मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य / सतर्कता),अ.वि.वि.नि.लि, ...
6. अधीक्षण अभियन्ता (   ), अ.वि.वि.नि.लि, ...
7. उपसचिव (प्रशा. एवं का.– I / II),अविविनिलि, अजमेर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी (राजस्व / आ. अंकेक्षण), अ.वि.वि.नि.लि., ...
9. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
10. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11. निजी सचिव–माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सूचनार्थ।
12. सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

69/user-Tanwar,Steno/F.RE-circular

76